WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

F. No. 12015/11/2020-TTP
Government of India
Ministry of Textiles
Textiles Trade Promotion Section

Udyog Bhawan, New Delhi
13th August 2021

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri,
New Delhi-110064

Subject: Notification regarding continuation of RoSCTL alongwith scheme guidelines

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy (both in English & Hindi) of the Notification regarding continuation of Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) alongwith the scheme guidelines and to request that the same may please be published in the Gazette of India.

2. The above said Notification is to be published in Part-I, Section-I (Extraordinary) of the Gazette.

3. It is also certified that the contents has been approved by the Competent Authority.

Yours faithfully,

(M Ramakrishnan)
Under Secretary to the Govt. of India
Ph. No. 23061522
Email: m.ramakrishnan94@nic.in, teptj2@nic.in

Encls: As above

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

TO BE PUBLISHED IN THE PART-I SECTION -I OF THE GAZETTE OF INDIA

(EXTRAORDINARY)

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, dated 13 August, 2021

NOTIFICATION

Continuation of Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Apparel/Garments and Made-ups (RoSCTL)

File No. 12015/11/2020-TTP: In pursuance of the decision of the Government of India to rebate all embedded State and Central Taxes and Levies on export of garments and made-ups to enhance competitiveness of these sectors, the Ministry of Textiles vide notification No. 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 07.03.2019 notified the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) which was in force up to 31.03.2020. Vide Notification No 12015/11/2020-TTP dated 17.04.2020, the Government decided to continue the said Scheme w.e.f. 01.04.2020 until such time that the RoSCTL Scheme is merged with Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) Scheme without any change in Scheme guidelines and rates, as notified vide Ministry of Textiles' Notification Nos. 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 7.3.2019 and 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 8.3.2019, respectively.

2. Further, the Government has decided to continue the RoSCTLw.e.f. 01st January 2021 to 31st March 2024 for apparel/garments (under Chapter 61 and 62) and Made-ups (under Chapter 63) in exclusion of RoDTEP for these Chapters with the rates, as notified by the Ministry of Textiles vide Notification no.14/26/2016-IT (Vol.II) dated 08th March 2019 subject to review of rates periodically. A mechanism for such revision shall be decided separately by Ministry of Textiles and Ministry of Finance. However, eligibility criteria under RoSCTL shall remain unchanged.The other textiles products (excluding Chapter 61,62 and 63) which are not covered under the RoSCTL shall be eligible to avail the benefits, if any, under RoDTEP along with other products, as to be finalised by Department of Commerce from the dates which may be notified in this regard.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

3. The Scheme shall be implemented by Department of Revenue with end to end digitization for issuance of transferable Duty Credit Scrip, which will be maintained in an electronic ledger in the Customs system.Duty Credit Scrip under RoSCTL Scheme shall be issued without insisting on realization of export proceeds.Revised guidelines for continuation and implementation of the RoSCTL scheme is Annexed herewith.

(Vijoy Kumar Singh)
Additional Secretary
Ministry of Textiles, Government of India
Tel: 011-23010494

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

Annexure

Guidelines for Continuation of Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Apparel/Garments and Made-ups (RoSCTL)

The Government of India has decided to continue RoSCTL scheme w.e.f. 01.01.2021 to 31.03.2024 to rebate all embedded State and Central Taxes and Levies on apparel/garments (under Chapter-61 & 62) and made-ups (under Chapter-63) to enhance competitiveness of these sectors.

1. SHORT TITLE

The scheme shall be called Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Apparel/ garments and Made-ups (hereinafter referred to as RoSCTL).

2. OBJECTIVE

In accordance with the recognized international economic principle of zero rating of export products, it has been decided that the Central Government shall provide for rebate of State and Central Taxes and Levies in addition to the Duty Drawback Scheme, on export of apparel/ garments and Made-ups at rates notified vide Notification No 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 8.3.2019 with value caps.

3. DEFINITIONS

3.1. **Export** with its grammatical variations and cognate expressions, means taking goods physically out of India to a place outside India.

3.2. **Shipping Bill or Bill of Export** shall be the entry made before proper officer of Customs by an exporter of apparel/garments and made-ups

3.3. **Value** in relation to exported apparel/garments and made-ups shall be the Free on Board(FOB) value.

3.4. **Apparel/Garments** shall mean goods falling under Chapters 61 & 62 of the Schedule of All Industry Rates(AIR) of Drawback. Made-ups shall mean goods falling under Chapter 63 of the Schedule of All Industry Rates (AIR) of drawback excluding tariff items 6308, 6309, 6310 and goods in tariff items 9404 that are excluded from drawback tariff item 6304.

3.5. **Rebate of State Taxes and Levies** shall be understood to comprise VAT on fuel used in transportation, captive power, farm sector, mandi tax, duty of electricity, stamp duty on export documents, embedded SGST paid on inputs such as pesticides, fertilizers etc. used in production of raw

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

cotton, purchases from unregistered dealers, coal used in production of electricity and inputs for transport sector.

3.6. **Rebate of Central Taxes and Levies** shall be understood to comprise central excise duty on fuel used in transportation, embedded CGST paid on inputs such as pesticides, fertilizer etc. used in production of raw cotton, purchases from unregistered dealers, inputs for transport sector and embedded CGST and Compensation Cess on coal used in production of electricity.

4. NATURE OF REBATE

4.1. The rebate under the Scheme shall be in the form of duty credit scrips. The scrips shall be issued electronically on Customs system. The duty credit scrips shall be used for payment of Basic Customs Duty on import of goods. These scrips shall be freely transferable. The relevant notification, as regard the manner of utilization of scrip for payment of basic customs duty and other modalities, including conditions relating thereto, consistent with the Scheme, shall be issued by the Department of Revenue.

5. RATES AND RESTRICTIONS ON REBATE

5.1. The rates and cap as recommended by Drawback Committee and notified by Ministry of Textiles vide Notification no.14/26/2016-IT (Vol.II) dated 08th March 2019 will be applicable.

5.2. Government reserves the right to suitably adjust the rate and caps in the light of change in relevant underlying conditions. Rates under the scheme shall be subject to review as per periodicity to be decided separately by Ministry of Textiles and Ministry of Finance.

5.3. The restrictions as prescribed by Ministry of Textiles vide notifications No.14/26/2016-IT(Vol.II)(Part II), dated 02.05.2019 [para 2 (e)], and No. 14/26/2016-IT(Vol.II)(Part II), dated 04.06.2019 shall continue to apply. Compliance and adherence to these restrictions shall be ensured by exporters claiming RoSCTL, and they shall make declaration in this regard, while making RoSCTL claim, in the manner as may be prescribed, by DoR.

6. CLAIM FOR REBATE

6.1 An exporter opting for this scheme shall make claim for rebate on exports at item-level, in accordance with the guidelines as may be issued

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

by the Department of Revenue, for operationalising the scheme on Customs system.

6.2 Electronic duty credit ledger will be created by the Customs Authority and the exporter may generate electronic Duty Credit Scrip for value, lying in his/her ledger.

7. MECHANISM OF REBATE

7.1. The Scheme shall be implemented by Department of Revenue (DoR) with end to end digitization for issuance of transferable Duty Credit Scrip, which will be maintained in an electronic duty credit ledger in the Customs system.

7.2. Duty Credit Scrip under RoSCTL Scheme shall be issued without insisting on realization of export proceeds. However, adequate safeguard mechanism shall be put in place for effective monitoring of realization of export proceeds.

7.3. While the proposed Scheme will be implemented on a revenue foregone basis, a budgetary control would be exercised through appropriate entries in the annual financial statement. To ensure that expenditure under the Scheme does not exceed the allocation amount in a particular financial year, the expenditure and liability under the Scheme shall be reviewed on a quarterly basis and measures, as necessary, shall be taken to keep the expenditure within the prescribed allocation.

7.4. For the purpose of audit and verification, the exporter would be required to keep records to substantiate their claims made under the Scheme. Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) would put a monitoring and audit mechanism, with an Information Technology based Risk Management System (RMS), in place.

7.5. Ministry of Textiles will conduct annual impact analysis of the scheme. For a broad level monitoring, an output outcome framework shall be notified separately.

8. Over-claim/ claim based on mis-declaration and procedure for recovery:

8.1 The rebate allowed is subject to the receipt of sale proceeds within time allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 failing which such rebate shall be deemed to have never been allowed. Action under the Customs Act may be taken by the Customs Authorities for recovery of erroneous or excess paid RoSCTL. Further, the exporter is required to return any over-payment of rebate issued through the scrips

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

arising from miscalculation. Where there is repayment, recovery or return, interest shall also be paid by the exporter at the rate of fifteen per cent (15%) per annum calculated from the date of debit of the scrip till the date of repayment, recovery or return along with penalty, if imposed under an Adjudication order. Exporter may have option to surrender unutilized scrip obtained under RoSCTL without payment of interest, however, a penalty may be imposed in case such Duty Credit Scrip is obtained by mis-declaration and fraudulent practice, under the provisions of Customs Act.

8.2 In case a recovery is due, Officer of Custom shall issue a letter to the exporter and request the exporter to deposit the full sum (principal plus interest) within 30 days in the relevant account head of Customs "Major Head 0037-Customs and minor head 001-Import Duties". In case of non-compliance, action under the Custom Act would be initiated and a penalty may be imposed along with suitable action to recover duty plus interest.

9. Duration of the Scheme

RoSCTLScheme for apparel/garments and made-ups shall be continued w.e.f 01st January 2021 till 31.03.2024.

10. PERIODIC ASSESSMENT

The liabilities under RoDTEP and RoSCTL will be managed within the financial ceiling communicated by the Ministry of Finance. Any change in the inter se financial allocation for the financial year shall be done in consultation with Ministry of Finance (MoF). Further, to ensure that the expenditure under these Schemes do not exceed the allocation amount, the expenditure and liability under these Schemes shall be reviewed on quarterly basis by a Committee headed by Department of Expenditure and consisting of Department of Revenue, Department of Commerce and Ministry of Textiles (for RoSCTL) to keep the expenditure within the prescribed allocation. Customs shall ensure on their system that expenditure under these Schemes does not exceed the allocated fund.

11. SAVING CLAUSE

Upon cessation of the RoSCTL Scheme, the non-issued rebate against claim shall be settled in accordance with the provisions of this Scheme.

VIJOY KUMAR SINGH,
Additional Secretary

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

भारत के राजपत्र के भाग । खंड । में प्रकाशनार्थ

(असाधारण)

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2021

अधिसूचना

अपैरल/परिधानों और मेडअप्स के निर्यात पर राज्य एवं केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना को जारी रखना।

फा.सं. 12015/11/2020-टीटीपी: परिधानों और मेडअप्स क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उनके निर्यात पर सभी सन्निहित राज्य एवं केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 07.03.2019 की अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (खंड-।।) के माध्यम से राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना को अधिसूचित किया था जो 31.03.2020 तक लागू थी। सरकार ने दिनांक 17.04. 2020 की अधिसूचना संख्या 12015/11/2020-टीटीपी के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय की क्रमश: 07.03.2019 की अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी (खंड-।।) और दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी (खंड-।।) के माध्यम से अधिसूचित योजना के दिशानिर्देशों और दरों में कोई परिवर्तन किए बिना निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना के साथ आरओएससीटीएल योजना का विलय किए जाने तक उक्त योजना को दिनांक 01.04.2020 से जारी रखने का निर्णय लिया था।

2. इसके अलावा, सरकार ने वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 08 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (खंड-।।) के माध्यम से अधिसूचित दरों के साथ इन अध्यायों के लिए आरओडीटीईपी को छोड़कर अपैरल/परिधानों (अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत) और मेडअप्स (अध्याय 63 के अंतर्गत) के लिए आरओएससीटीएल को 01 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक दरों की आवधिक पुनरीक्षा होने के अध्यधीन, जारी रखने का निर्णय लिया है। ऐसे संशोधनों के लिए क्रियाविधि का निर्णय वस्त्र मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से किया जाएगा। तथापि, आरओएससीटीएल के तहत पात्रता मानदंड अपरिवर्तित रहेगा। अन्य वस्त्र उत्पाद (अध्याय 61, 62 और 63 को छोड़कर) जो आरओएससीटीएल के अंतर्गत शामिल नहीं है, इस संबंध में अधिसूचित की जाने वाली तारीखों से वाणिज्य विभाग द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के अनुसार, अन्य उत्पादों के साथ आरओडीटीईपी के अंतर्गत लाभ, यदि कोई हो, उठाने के पात्र होंगे।

3. यह योजना हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी करने के लिए एंड टू एंड डिजीटलीकरण के साथ राजस्व विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, जिसका रखरखाव सीमा शुल्क प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक खाते में रखा जाएगा। निर्यात आय की प्राप्ति पर बल दिए बिना आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की जाएगी। आरओएससीटीएल योजना को जारी रखने और क्रियान्वित करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश इसके साथ संलग्न हैं।

(विजय कुमार सिंह)
अपर सचिव
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23010494

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

अनुबंध

अपैरल/परिधानों और मेडअप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना को जारी रखने के लिए दिशानिर्देश।

भारत सरकार ने अपैरल/परिधानों तथा मेडअप्स क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए अपैरल/परिधानों (अध्याय 61 एवं 62 के अंतर्गत) और मेडअप्स (अध्याय 63 के अंतर्गत) पर सभी सम्मिलित राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट के लिए आरओएससीटीएल योजना को दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2024 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। योजना के दिशानिर्देशों को निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है:

1. लघु शीर्ष

इस योजना को अपैरल/परिधानों और मेडअप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट (इसके पश्चात इसे आरओएससीटीएल कहा जाएगा) योजना कहा जाएगा।

2. उद्देश्य

2.1. निर्यात उत्पादों की जीरो रेटिंग के स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार मूल्य की सीमा के साथ दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी (खंड-।।) के द्वारा अधिसूचित दरों पर अपैरल/परिधानों एवं मेड-अप्स के निर्यात पर, ड्यूटी ड्रॉबैक योजना के अलावा राज्य एवं केंद्रीय करों तथा लेवियों में छूट का प्रावधान करेगी।

3. परिभाषा

3.1. निर्यात की पारिभाषिक विविधता तथा सजातीय अभिव्यक्ति सहित इसका अभिप्राय भारत से वस्तुओं को भौतिक रूप से भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना है।

3.2. शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल का अभिप्राय अपैरल/परिधानों एवं मेड-अप्स के किसी निर्यातक द्वारा सीमा-शुल्क के किसी उपयुक्त अधिकारी के समक्ष की गई प्रविष्टिहै।

3.3. निर्यातित अपैरल/परिधानों तथा मेड-अप्स से संबंधित मूल्य, बोर्ड पर नि:शुल्क (एफओबी) मूल्य होगा।

3.4. अपैरल/परिधानों का अभिप्राय ड्रॉबैक की सभी औद्योगिक दरों (एआईआर) की अनुसूची के अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं होगा। मेड-अप्स का अभिप्राय ड्रॉबैक की सभी औद्योगिक दरों (एआईआर) की अनुसूची के अध्याय 63 के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं होगा जिसमें टैरिफ मदें 6308, 6309,6310 तथा टैरिफ मदें 9404 की वस्तुएं शामिल नहीं हैं जो ड्रॉबैक टैरिफ मद 6304 से बाहर रखी गई हैं।

3.5. राज्य करों और लेवियों में छूट के मामले में यह समझा जाएगा कि इसमें परिवहन में प्रयुक्त ईंधनपर वैट, कैप्टिव विद्युत, फार्म क्षेत्र, मंडी कर, विद्युत शुल्क, निर्यात दस्तावेजों

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

पर स्टैंप इ्यूटी, कच्ची कपास के उत्पादन में प्रयुक्त कीटनाशकों, उर्वरकों आदि जैसे इनपुटोंपर अंतर्निहित एसजीएसटी, अपंजीकृत डीलरों से खरीद, विद्युत के उत्पादन में कोयले तथा परिवहन क्षेत्र के लिए इनपुट शामिल है।

3.6. केंद्रीय करों और लेवियों में छूट के मामले में यह समझा जाएगा कि इसमें परिवहन में प्रयुक्त ईंधन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कच्चे कपास के उत्पादन में प्रयुक्त कीटनाशकों, उर्वरक आदि जैसे इनपुट पर प्रदत्त अंतर्निहित सीजीएसटी, अपंजीकृत डीलरों से खरीद, परिवहन क्षेत्र के लिए इनपुट तथा विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त कोयले पर अंतर्निहित सीजीएसटी और प्रतिपूर्ति उपकर शामिल है।

4. छूट की प्रकृति

4.1 इस योजना के अंतर्गत छूट इ्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में होगी। स्क्रिप को सीमा शुल्क प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी किया जाएगा। इ्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग वस्तुओं के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जाएगा। ये स्क्रिप स्वतंत्र रूप से हस्तांरणीय होंगे।बुनियादी सीमा-शुल्क के भुगतान और अन्य तौर-तरीकों तथा इससे संबंधित स्थितियों सहित योजना के अनुरूप, स्क्रिप उपयोग के तरीके के संबंध में उचित सूचना राजस्व विभाग द्वारा जारी की जाएगी।

5. छूट संबंधित दरें और प्रतिबंध

5.1 ड्रॉबैक समिति द्वारा संस्तुत और वस्त्र मंत्रालय द्वारा 8 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या14/26/2016-आईटी(खंड-।।) द्वारा अधिसूचित दरें और सीमा लागू होगी।

5.2 सरकार संगत अंतर्निहित शर्तों में परिवर्तन के आलोक में दर और सीमा को उपयुक्त रूप से समायोजित करने का अधिकार रखती है। योजना के तहत दरों की आवधिक समीक्षा की जाएगी जिसका निर्धारण वस्त्र मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से किया जाएगा।

5.3 वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 2.5.2019 [पैरा 2 (ङ)] की अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी(खंड-।।) (भाग ।।) और दिनांक 4.6.2019 की संख्या 14/26/2016-आईटी(खंड-।।) (भाग ।।) के द्वारा यथानिर्धारित प्रतिबंध लागू रहेंगे। आरओएससीटीएल का दावा करने वाले निर्यातकों द्वारा इन प्रतिबंधों का अनुपालन और अनुसरण करना सुनिश्चित किया जाएगा और वे आरओएससीटीएल का दावा करते समय, राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित तरीके से इस संबंध में घोषणा करेंगे।

6. छूट के लिए दावा

6.1 इस योजना को चुनने वाला एक निर्यातक, सीमा-शुल्क प्रणाली पर योजना को प्रचालित करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार, मद-स्तर पर निर्यात पर छूट के लिए दावा करेगा।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

6.2 इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा बनाया जाएगा और निर्यातक मूल्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक डयूटी क्रेडिट स्क्रिप उत्पन्न कर सकता है, जो उसके खाते में पड़ा हुआ है।

7. छूट का तंत्र

7.1 यह योजना राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी करने के लिए एंड टू एंड डिजिटलीकरण के साथ लागू की जाएगी, जिसे सीमा शुल्क प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में बनाए रखा जाएगा।

7.2. आरओएससीटीएल योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप निर्यात आय की वसूली पर जोर दिए बिना जारी किया जाएगा। तथापि, निर्यात आय की वसूली की प्रभावी निगरानी के लिए पर्याप्त रक्षोपाय तंत्र स्थापित किया जाएगा।

7.3. जबकि प्रस्तावित योजना को फोर्गोन राजस्व के आधार पर लागू किया जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण में उपयुक्त प्रविष्टियों के माध्यम से एक बजटीय नियंत्रण का प्रयोग किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में आवंटन राशि से अधिक न हो, योजना के तहत व्यय और देयताओं की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी और व्यय को निर्धारित आवंटन के भीतर रखने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

7.4. लेखापरीक्षा और सत्यापन के प्रयोजन के लिए, निर्यातक को योजना के तहत किए गए अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के साथ एक निगरानी और लेखा परीक्षा तंत्र स्थापित करेगा।

7.5. वस्त्र मंत्रालय योजना का वार्षिक प्रभाव विश्लेषण करेगा। व्यापक स्तर की निगरानी के लिए, एक आउटपुट परिणाम ढांचे को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

8. गलत घोषणा के आधार पर अधिक दावा/दावा और वसूली के लिए प्रक्रिया:

8.1 छूट अनुमति विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत अनुमत समय के भीतर बिक्री आय की प्राप्ति के अधीन है, अन्यथा ऐसी छूट की अनुमति कभी नहीं दी गई मानी जाएगी। गलत या अधिक भुगतान किए गए आरओएससीटीएल की वसूली के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों प्राधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, निर्यातक को गलत गणना से उत्पन्न होने वाले स्क्रिप के माध्यम से जारी छूट के किसी भी अधिक भुगतान को वापस करने की आवश्यकता है। जहां चुकौती, वसूली या वापसी है, वहां निर्यातक द्वारा प्रति वर्ष पंद्रह प्रतिशत (15%) की दर से दंड सहित, यदि अधिनिर्णय आदेश के तहत अधिरोपित किया गया हो, ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा, जिसकी गणना स्क्रिप के

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

डेबिट की तारीख से चुकौती, वसूली या वापसी की तारीख तक की जाएगी। निर्यातक के पास ब्याज के भुगतान के बिना आरओएससीटीएल के तहत प्राप्त अप्रयुक्त स्क्रिप को छोड़ने का विकल्प हो सकता है, हालांकि, सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत गलत घोषणा और कपटपूर्ण व्यवहार द्वारा ऐसी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्राप्त करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

8.2 यदि वसूली देय है, तो सीमा शुल्क अधिकारी निर्यातक को एक पत्र जारी करेगा और निर्यातक से अनुरोध करेगा कि वह 30 दिनों के भीतर सीमा शुल्क के संगत खाता शीर्ष " मुख्य शीर्ष 0037-सीमा शुल्क और लघु शीर्ष 001-आयात शुल्क" में पूरी राशि (ब्याज सहित मूलधन) जमा करे। अनुपालन के अभाव में, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी और शुल्क और ब्याज की वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है।

9. योजना की अवधि

अपैरल/गारमेंटस और मेड-अप्स के लिए आरओएससीटीएल योजना 01 जनवरी, 2021 से 31.03.2024 तक जारी रहेगी।

10. **आवधिक मूल्यांकन**

वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित वित्तीय सीमा के भीतर आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल के तहत देनदारियों का प्रबंधन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के लिए परस्पर वित्तीय आवंटन में कोई भी परिवर्तन वित मंत्रालय (एमओएफ) के परामर्श से किया जाएगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के तहत व्यय आवंटन राशि से अधिक न हो, इन योजनाओं के तहत व्यय और देनदारियों की तिमाही आधार पर व्यय विभाग की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी और इसमें राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग और (आरओएससीटीएल के लिए) वस्त्र मंत्रालय शामिल होंगे ताकिव्यय को निर्धारित आवंटन के भीतर रखा जाए। सीमा शुल्क अपने सिस्टम पर यह सुनिश्चित करेगा कि इन योजनाओं के तहत व्यय आवंटन राशि से अधिक न हो।

11. बचत खंड

आरओएससीटीएल योजना के समाप्त होने पर, दावे के विरुद्ध गैर-जारी छूट का फैसला इस योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(विजय कुमार सिंह)
अपर सचिव, भारत सरकार